कृषि में केन्द्र प्रायोजित स्कीमें

कृषि से संबंधित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों द्वारा मुहैया की गई सुविधाएं और सेवाएं

किसान कॉल सेन्टर

किसानों को फसल उत्पादन तथा विपणन संबंधी निर्णय लेने में सहायता देने के लिए, कृषि संबंधी जानकारी सुगमता से मुहैया करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 21 जनवरी, 2004 को किसानों के लिए किसान कॉल सेन्टर्स (केन्द्र) का एक नेटवर्क आरम्भ करने की प्रमुख पहल की है। इन कॉल सेन्टर्स से टेलीफोन नं. 1551 पर नि:शुल्क सम्पर्क किया जा सकता है। इस समय ये कॉल सेन्टर दिल्ली, बेंगलूर, चण्डीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता और मुम्बई में स्थित हैं। मौसम, बीजों, उर्वरक और इसी प्रकार के अन्य विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, इन कॉल सेन्टरों में कृषि स्नातक तैनात हैं। इन कॉल सेन्टरों में स्थानीय भाषा में सलाह दी जाती है और ये सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं। यद्यपि दिन की पाली में फोन पर सीधे ही उत्तर दिए जायेंगे। यह केन्द्र दिन के 24 घंटे खुले रहेंगे तथा कार्यालय समय के पश्चात् प्रश्नों को रिकार्ड किया जाएगा और उनके उत्तर डाक द्वारा भेजे जाएंगे।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

संयुक्त सचिव (विस्तार)
कृषि और सहकारिता विभाग
कृषि भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड
नई दिल्ली

किसान सेटेलाइट चैनल

भारत के प्रधान मंत्री ने 21 जनवरी, 2004 को एक किसान टी.वी. चैनल का उद्घाटन किया है, ताकि कृषि अनुसंधान संस्थानों तथा राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित की गई सुगमता से अपनाने योग्य प्रौद्योगिकियों तथा उन प्रौद्योगिकियों, जो विकासाधीन हैं, को एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम अर्थात् दूरदर्शन के जरिये किसान समुदाय तथा अन्य इच्छुक व्यक्तियों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इस समय, इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के केबल नेटवर्क के माध्यम से किसान चैनल का राष्ट्रीय प्रसारण किया जाता है। इस कार्यक्रम की अवधि एक घंटा है और यह पूर्वाह्न में 6 से 7 और 8 से 9 बजे तथा अपराह्न में 5.30 से 6.30 बजे और 7.30 से 8.30 बजे तक प्रसारित किया जाता है। निकट भविष्य में इस कार्यक्रम की अवधि बढ़ा कर दो घंटे की जाएगी और यह चार बार प्रसारित किया जाएगा। इसी प्रकार फरवरी, 2004 से, देश में आकाशवाणी के 96 एफ.एम. केन्द्रों तथा 12 दूरदर्शन केन्द्रों (हिसार, वाराणसी, मुजफ्फरपुर, इंदौर, राजकोट, जलपाईगुड़ी, सम्बलपुर, शिलांग, डिब्रूगढ़, गुलमर्ग, डाल्टनगंज और विजयवाड़ा) में भी एक-एक घंटे का कृषि संबंधी प्रसारण किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

संयुक्त सचिव (विस्तार)
कृषि और सहकारिता विभाग
कृषि भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड
नई दिल्ली

कृषि आय बीमा संबंधी मार्गदर्शी परियोजना

समूची पैदावार, जिसमें किसानों द्वारा अपनी खपत के लिए रखी गई पैदावार भी शामिल है, के लिए आय की सुरक्षा, खाद्य और आजीविका सुरक्षा बढ़ाने तथा उन्नत कृषि क्रियाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने, व्यापक जोखिम सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा मुहैया करने तथा अन्य नीतियों के लिए, यह स्कीम हाल ही में आरम्भ की गई है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

कृषि बीमा कम्पनी/बैंक शाखा/ निकटतम प्राइमरी कृषि सहकारी समिति अथवा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि., 13वीं मंजिल, अम्बा दीप, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली
(Website:www.aicofindia.org)

इस स्कीम के दायरे में सभी किसान, ऋणी किसान अनिवार्य आधार पर और वे किसान जिन्होंने ऋण नहीं लिया है, स्वैच्छिक आधार पर आते हैं और यह स्कीम रबी मौसम 2003-2004 के दौरान गेहूं और चावल के लिए 13 राज्यों के 20 जिलों में चलाई जा रही है। यद्यपि, बीमांकित आधार पर प्रीमियम लिया जाएगा, तथापि, छोटे/ सीमांत किसानों के लिए प्रीमियम पर 75% तक और अन्य के लिए 50% तक छूट दी जाती है। यदि मौसम में वास्तविक आय गारंटीबद्ध आय से कम रह जाती है तो उस स्थिति में दावा देय हो जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.)

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, एक केन्द्रीय स्कीम के रूप में 18 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में, इन उद्देश्यों के साथ क्रियान्वित की जा रही है- (i) प्राकृतिक आपदाओं, कीटों तथा बीमारियों के परिणामस्वरूप किसी अधिसूचित फसल के नष्ट हो जाने की स्थिति में, किसानों को बीमा कवरेज तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना; (ii) खेती की उन्नत क्रियाएं अपनाने, अत्यधिक महत्वपूर्ण निवेश करने तथा कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना; और (iii) विशेष रूप से संकट वाले वर्षों में, कृषि आय को स्थिर रखने में सहायता देना। यह स्कीम सभी किसानों के लिए उनकी जोत के आकार का ध्यान किए बिना है और ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य है तथा उन किसानों के लिए ऐच्छिक है जिन्होंने ऋण नहीं लिया है। इस स्कीम के दायरे में सभी खाद्य फसलें (अनाज, खाद्यान्न और दालें), तिलहन और वार्षिक व्यावसायिक/बागवानी फसलें, जिनके संबंध में विगत के पर्याप्त वर्षों के लिए पैदावार के आंकड़े उपलब्ध हैं, आती हैं।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया अथवा संयुक्त सचिव, क्रेडिट डिवीजन कृषि और सहकारिता विभाग कृषि भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड नई दिल्ली

छोटे और सीमांत किसानों को प्रीमियम पर 50% सब्सिडी दी जाती है और यह सब्सिडी पांच वर्ष की अवधि में, चरणबद्ध आधार पर होती है। बीमा की निम्नतम इकाई की पहचान, ग्राम पंचायत स्तर पर की गई है। प्रत्येक फसल मौसम के आरम्भ में, राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र, जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया (जी.आई.सी.) के परामर्श से, फसलों को अधिसूचित करती है और उन क्षेत्रों को परिभाषित करती है, जो मौसम के दौरान इस स्कीम के दायरे में आएंगे।

विभिन्न मंडियों में बागवानी पैदावार के थोक मूल्यों, आमद और रुख के संबंध में सूचना तैयार करना तथा मीडिया और प्रकाशनों के माध्यम से सूचना का प्रचार-प्रसार

इस स्कीम का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण बाग स्थापित करने, शून्य ऊर्जा शीत कक्ष, मिनी किटों में फलों के पौधों तथा सब्जी के बीजों का वितरण करने में तथा प्रदर्शनों के लिए किसानों, निर्यातकों, व्यापारियों तथा अनुसंधान संगठनों को सहायता देने की व्यवस्था है। इस स्कीम में 250 रुपये प्रति मिनी किट प्रति परिवार, प्रदर्शन के लिए चुनी गई पंचायत में 2500 रुपये प्रति शून्य ऊर्जा शीत कक्ष प्रति विद्यालय/गांव और प्रदर्शन के लिए चयनित प्रति विद्यालय प्रति पंचायत 5000 रुपये तक देने की व्यवस्था है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

कार्यकारी निदेशक,
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, 85,
इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर 18,
गुड़गांव, हरियाणा अथवा
बागवानी आयुक्त,
बागवानी प्रभाग,
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि भवन, राजेन्द्र प्रसाद रोड,
नई दिल्ली अथवा
संबंधित राज्यों के बागवानी निदेशक

पादप सुरक्षा में प्रशिक्षण

पादप सुरक्षा प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय पादप सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में बेरोजगार कृषि स्नातकों को 10 मास की अवधि का पादप सुरक्षा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष जुलाई में आरम्भ होता है। इसके लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के जरिये नामांकन प्राप्त होते हैं।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

पादप सुरक्षा सलाहकार
पादप सुरक्षा, संगरोध और
भंडारण निदेशालय एन.एच. IV,
फरीदाबाद, हरियाणा अथवा
निदेशक, राष्ट्रीय पादप सुरक्षा
प्रशिक्षण संस्थान, राजेन्द्र नगर,
हैदराबाद, आंध्र प्रदेश अथवा
संबंधित राज्यों के कृषि निदेशक

समेकित नाशीजीव प्रबंध को प्रोत्साहन (आई.पी.एम.)

केन्द्रीय क्षेत्र की यह स्कीम 1991 से चल रही है और इसका उद्देश्य नाशीजीव संख्या को आर्थिक देहली स्तर से कम रखने के लिए, सभी ज्ञात नाशीजीव नियंत्रण उपायों को सर्वोत्तम ढंग से शामिल करना है। इस स्कीम में 20 आई.पी.एम. पैकेजों को लोकप्रिय बनाने की व्यवस्था है, जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार क्रियान्वित किए जाने हैं। किसान समुदाय के बीच आई.पी.एम. संकल्पना को लोकप्रिय बनाने, नाशीजीव पर नियमित निगरानी रखने तथा निगरानी करने, जैविक नियंत्रण एजेंटों को उनके खेत पर उपयोग तथा संरक्षण के लिए तैयार करने, जैव-कीटनाशियों, नीम पर आधारित कीटनाशियों, बैसिलस पर आधारित जैव-कीटनाशियों, रासायनिक कीटनाशियों के विकल्प के रूप में कीट रोगाणु तैयार करने, मास्टर प्रशिक्षकों, विस्तार कामगारों और किसानों को प्रशिक्षण देने, नाशीजीवों के नियंत्रण के लिए प्रयोगशाला में तैयार जैव-नियंत्रण एजेंटों को खेत पर छोड़ने और राज्य के अधिकारियों तथा किसानों के लाभ के लिए नाशीजीव, कीट एवं रोग स्थिति संबंधी बुलेटिन जारी करने के लिए प्रावधान किया गया है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

विषय से संबंधित विशेषज्ञ (पादप सुरक्षा) संबंधित राज्य के जिला स्तर पर राज्य का कृषि विभाग अथवा पादप सुरक्षा सलाहकार, पादप सुरक्षा, संगरोध और भंडारण निदेशालय, भारत सरकार, एन.एच. IV, फरीदाबाद-121 001 हरियाणा

राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना

केन्द्र प्रायोजित इस स्कीम में विभिन्न घटकों के लिए, राज्यों को सहायता देने की व्यवस्था है। ये घटक हैं- बीज से संबंधित (प्रजनक बीज की खरीद, फाउन्डेशन और प्रमाणित बीजों की पैदावार, मिनी किट्स, दालों के बीजों के उत्पादन के लिए क्रैश कार्यक्रम), प्रदर्शन (फ्रंट लाइन, ब्लॉक और आई.पी.एम.), सिंचाई की उन्नत विधि, उन्नत कृषि औजारों और पादप सुरक्षा उपकरणों का वितरण, राइजोबियम संवर्धनों, पोषकों एवं सूक्ष्म-पोषकों, जिप्सम/पाइराइट्स तथा बीज उपचार रसायनों का वितरण और किसानों को प्रशिक्षण। यह स्कीम केन्द्र और राज्य के हिस्से के रूप में 75:25 आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। इस समय, वे किसान इस स्कीम के दायरे में आते हैं, जो 28 राज्यों में प्रक्षेपित जिलों में दालों की पैदावार करते हैं।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

संबंधित राज्य का कृषि निदेशालय
अथवा
मिशन निदेशक, टी.एम. ओ.पी. प्रभाग, कृषि और सहकारिता विभाग, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, कृषि भवन, नई दिल्ली

कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन II के अधीन गहन कपास विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.)

यह स्कीम एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में फरवरी, 2000 से चल रही है और इसमें ये प्रावधान हैं- (क) प्रजनक, फाउन्डेशन और प्रमाणित बीज के उत्पादन और उनके वितरण के लिए सहायता, (ख) फील्ड और एकीकृत नाशक जीव प्रबंधन प्रदर्शन, (ग) किसानों और विस्तार कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण, और (घ) पादप सुरक्षा उपकरण, जल की बचत करने वाले उपकरणों, जैव-एजेंटों तथा फेरोमोन ट्रैपों का वितरण। राज्यों के कृषि विभागों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से गतिविधियां क्रियान्वित की जाती हैं। यह स्कीम नौ प्रमुख राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कपास के अधीन लघु क्षेत्रों के साथ दो राज्यों (उत्तर प्रदेश और उड़ीसा) और दो कपास फसल के लिए गैर-पारम्परिक राज्यों (पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा) में चल रही है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

संबंधित राज्यों के कृषि निदेशक
अथवा
कृषि आयुक्त, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन,
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली

चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के लिए मिनी किट कार्यक्रम

इस स्कीम का उद्देश्य नए संकरों/अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के उपयोग को लोकप्रिय बनाकर उत्पादकता में वृद्धि करना और अधिक पैदावार देने वाली विशिष्ट किस्मों/संकरों के अधीन क्षेत्र में, वृद्धि करना है। चावल मिनी किट कार्यक्रम 1972-73 से, गेहूं मिनी किट कार्यक्रम 1974-75 से और मोटे अनाज किट कार्यक्रम 1974-75 से आरम्भ किया गया था। बीज मिनी किट वितरण कार्यक्रम तथा राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, इस स्कीम के घटक हैं।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

संबंधित राज्यों के कृषि निदेशक
अथवा
कृषि आयुक्त, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन,
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली

तिलहनों, दालों और मक्का के संबंध में कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी

तिलहनों, दालों और मक्का का कटाई उपरांत प्रबंधन, बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में इन अनिवार्य और महत्वपूर्ण भारतीय आहार जिंसों की आपूर्ति में तेजी लाने की नीति का एक अभिन्न अंग है। यह स्कीम केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन 1991 से क्रियान्वित की जा रही है और इसका उद्देश्य कटाई, अधिप्राप्ति, भंडारण संबंधी देखभाल और कुशल वैज्ञानिक प्रसंस्करण की विशिष्ट देखभाल द्वारा, उत्पादन में वृद्धि करना है। इस स्कीम से लाभान्वित होने के पात्र किसान समूह, गैर-सरकारी संगठन, प्रसंस्करण के कार्य में लगे छोटे उद्यमी, सहकारी/निजी प्रोसेसर/राज्य सरकारें/सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उद्यमी हैं। कृषि मंत्रालय 100% अनुदान देता है, जबकि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद धनराशि जुटाने के लिए नोडल एजेंसी है। इच्छुक एजेंसियों/संगठनों से कृषि मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने की अपेक्षा की जाती है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

संबंधित राज्यों के कृषि निदेशक/ लघु उद्योग निदेशक अथवा सहायक आयुक्त (टी.एम.ओ.पी. एण्ड एम.), कृषि और सहकारिता विभाग, दूसरा तल, बी. विंग, जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली

बागवानी विकास प्रौद्योगिकी और हस्तांतरण

यह स्कीम राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड की एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में क्रियान्वित की जाती है, जिसके घटक हैं- (i) नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना, (ii) प्रगतिशील किसानों से भेंट करना, (iii) भारत/विदेश से विशेषज्ञ सेवाएं, (iv) प्रौद्योगिकी के संबंध में जागरुकता, (v) सेमिनार आदि आयोजित करना/उनमें भाग लेना, (vi) उद्यान पंडित, (vii) प्रचार, (viii) विदेश में प्रेक्षण एवं अध्ययन दौरे, और (ix) प्रौद्योगिकी के प्रभावकारी ढंग से हस्तांतरण के लिए वैज्ञानिकों को मानदेय देना। इस स्कीम में उत्पादन से संबंधित परियोजनाओं के लिए, 10 लाख रुपये तक प्रति परियोजना और अनुसंधान तथा विकास प्रयासों के लिए 25 लाख रुपये तक 100% वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है। किसानों के अध्ययन दौरों के लिए 30 किसानों के समूह को रेल से द्वितीय श्रेणी स्लीपर/सामान्य बस किराया और प्रति किसान 100 रुपये प्रति दिन भी दिया जाता है।

अधिक जानकारी के लिऐ सम्पर्क करें:

कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड, 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर 18, गुड़गांव, हरियाणा अथवा बागवानी आयुक्त, बागवानी प्रभाग, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली

बागवानी प्रोत्साहन परियोजना

इस परियोजना का वित्तपोषण राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड के जरिये किया जाता है और इसके अन्तर्गत विशेष क्षेत्रों/राज्य में बागवानी विकास की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के लिए, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किए जाते हैं, बाधाओं की पहचान की जाती है और उपचारात्मक उपायों के संबंध में सुझाव दिया जाता है, साथ ही अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक नीतियां तैयार की जाती हैं। व्यावसायिक परामर्शदाताओं और पात्र प्रवर्तकों, जिनमें गैर-सरकारी संगठन, उत्पादक एसोसिएशन, कृषि उपज विपणन समितियां/बोर्ड, नगर-निगम, कृषि उद्योग निगम, आदि शामिल हैं, के जरिये पूर्ण वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड, 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर 18, गुड़गांव, हरियाणा अथवा बागवानी आयुक्त, बागवानी प्रभाग, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली

बागवानी उपज के लिए कोल्ड स्टोरेज/गोदामों का निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण करने के लिए पूंजीगत निवेश छूट

यह परियोजना राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जाती है और इसमें मौजूदा क्षमता के विस्तार के लिए 2 करोड़ रुपये तक की सहायता (4,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन) तथा आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापना और अन्य गोदामों की पूंजीगत लागत की 25% की दर से छूट देने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से पुनर्वित के जरिये, बैंकों द्वारा 50% आवधिक ऋण दिया जाता है। यह छूट राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड से आएगी और वाणिज्यिक/सहकारी बैंको के जरिये नाबार्ड द्वारा और उन मामलों में, जहां सहकारी समितियां राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) से ऋण लेना चाहती हैं, वहां राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा संचालित की जाती है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड, 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर 18, गुड़गांव, हरियाणा अथवा बागवानी आयुक्त, बागवानी प्रभाग, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली

नारियल विकास बोर्ड

केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना के रूप में नारियल विकास बोर्ड के उद्देश्य हैं- (i) नारियल का उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, (ii) संभाव्य अपारम्परिक क्षेत्रों में नारियल के अधीन अतिरिक्त क्षेत्र लाना, (iii) उत्पाद विविधता और सह-उत्पाद उपयोग के लिए नई प्रौद्योगिकियां विकसित करना, (iv) प्रौद्योगिकियों के अन्तरण के लिए तन्त्र को सुदृढ़ करना, (v) नारियल की खेती में लगे छोटे और सीमांत किसानों के आय स्तर को ऊंचा करना, (vi) नारियल उद्योग के लिए ठोस सूचना आधार तैयार करना, और (vii) ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोजगार के भरपूर अवसर सृजित करना। सभी किसान, संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से, सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम में अच्छी किस्म की रोपण सामग्री के उत्पादन और वितरण करने, खेती की क्रियाओं का एकीकरण करने, प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने आदि की व्यवस्था है। रोपण सामग्री के उत्पादन और वितरण, नारियल के अधीन क्षेत्र का विस्तार, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए एकीकरण खेती, नारियल आधारित उद्योगों को भवन/संयंत्र/मशीनरी की लागत की 25% की दर पर अथवा 2.5 लाख रुपये, इनमें जो भी कम हो, वित्तीय सहायता, भवन/संयंत्र/मशीनरी की लागत की 50% की दर पर अथवा अधिकतम 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता से एकीकृत नारियल प्रसंस्करण के लिए पायलट संयंत्रों की स्थापना, नारियल प्रसंस्करण इकाइयों में एगमार्क/आई.एस.ओ. मानक लागू करने के लिए, प्रयोगशाला उपकरणों की लागत की 25% दर पर अथवा एक लाख रुपये, इनमें जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता के लिए सहायता पैकेज उपलब्ध है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

अध्यक्ष
नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि (केरल)

पाम तेल विकास कार्यक्रम

संबंधित राज्य सरकारों के बागवानी विभागों/कृषि विभागों द्वारा चलाए जा रहे पाम तेल विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम 1992-93 से

क्रियान्वित की जा रही है। प्रमुख पाम तेल उत्पादक राज्यों, नामत: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में किसानों को रोपण सामग्री खरीदने के लिए वित्तीय सहायता (पौध रोपण की लागत का 75%, लेकिन अधिकतम 5400 रुपये प्रति हैक्टर) और खेती की लागत के लिए सहायता (15,500 रुपये प्रति हैक्टर की सीमा के साथ 4 वर्ष की तैयार होने की अवधि के दौरान, आदानों की लागत का 50%, जो एक किसान के लिए 6 हैक्टर क्षेत्र तक पात्र है), ड्रिप सिंचाई के लिए सहायता (छोटे, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला किसानों के लिए लागत का 50% तथा अन्य श्रेणी के किसानों के लिए लागत का 35%) दी जाती है।

इस स्कीम में प्रशिक्षण, विस्तार और प्रचार, स्थापना और कार्यान्वयन के लिए स्टॉफ के प्रावधान, बीज बाग, और अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन परियोजनाओं और पत्ती पोषक विश्लेषण प्रयोगशालाओं आदि के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने की भी व्यवस्था है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

संबंधित राज्यों के बागवानी/ कृषि निदेशक अथवा संयुक्त सचिव, तिलहन और दाल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली

आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी के विकास के लिए एकीकृत कार्यक्रम

केन्द्रीय क्षेत्र की यह स्कीम 2000-01 से चलाई जा रही है और इसके उद्देश्य हैं- (i) उन्नत कृषिजोत जातियों की गुण सम्पन्न पौध सामग्री का उत्पादन करना, (ii) अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के बीज/रोपण सामग्री के साथ नई पौध रोपण तैयार करना, (iii) उन्नत खेती प्रौद्योगिकी, पादप सुरक्षा रसायनों, पोषक और जल प्रबंध के जरिये उत्पादकता में वृद्धि करना, (iv) किसानों की भागीदारी से प्रदर्शनों, प्रशिक्षण दौरों, मीडिया की सहायता और विस्तार साहित्य आदि के माध्यम से प्रचार के जरिये प्रौद्योगिकी का अन्तरण करना, और (v) एकत्रण केन्द्रों, पैकेजिंग, ढुलाई, भंडारण तथा विपणन जैसी खेत पर होने वाली और कटाई उपरांत संबंधी जैसी बुनियादी सुविधाओं का सृजन करना। फसल उत्पादन, क्षेत्र के विस्तार, प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण, प्रदर्शन एवं बीज गुणन, औषधीय पादपों की फसलों, सिंचाई, बागवानी मशीनरी और उपकरणों, मूल्यांकन प्रौद्योगिकी, और वैकल्पिक विपणन प्रणालियों के लिए सहायता दी जाती है। चुनिंदा जिलों जैसे: आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश), बस्तर (छत्तीसगढ़), पंचमहल (गुजरात), रांची (झारखंड), क्योंझर (उड़ीसा) और अल्मोड़ा (उत्तरांचल) में सभी किसान इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह स्कीम पहचान की गई राज्य नामित एजेंसियों के माध्यम से, क्रियान्वित की जाती है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

संबंधित राज्यों के बागवानी निदेशक/कृषि निदेशक अथवा बागवानी आयुक्त, कृषि और सहकारिता विभाग कृषि भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली

उत्पादन और कटाई उपरांत प्रबंध के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास

यह स्कीम राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम के रूप में क्रियान्वित की जा रही है और वाणिज्यिक बागवानी फसलें, देशी फसलें/पैदावार, जड़ी-बूटियां, सगंधीय और औषधीय पादप, बीज और नर्सरी, जैव-प्रौद्योगिकी, जैव कीटनाशी दवाइयां, कार्बनिक खाद्य पदार्थ, बागवानी स्वास्थ्य कलीनिक्स/प्रयोगशालाएं

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

संबंधित राज्यों के बागवानी निदेशक/कृषि निदेशक अथवा कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, 85 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर 18, गुड़गांव, हरियाणा अथवा बागवानी आयुक्त, कृषि और सहकारिता विभाग कृषि भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली

(कृषि/बागवानी/बेरोजगार स्नातकों के लिए), परामर्शदात्री सेवाएं, मधुमक्खी रख-रखाव, विशेष परिवहन वाहन, बागवानी से संबंधित उद्योगों का विकास अर्थात औजार, उपकरण, प्लास्टिक, पैकेजिंग आदि इसके दायरे में आते हैं। इस परियोजना में अधिकतम 25 लाख रुपये प्रति परियोजना की सहायता की व्यवस्था है। तथापि, उत्तर-पूर्वी/आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए छूट की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये प्रति परियोजना है।

जैव उर्वरकों के प्रयोग पर राष्ट्रीय प्रायोजना

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें

सम्बन्धित राज्य के कृषि निदेशक या राष्ट्रीय कृषि बैंक (एन ए बी ए आर डी) या संयुक्त सचिव, उर्वरक प्रभाग, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नयी दिल्ली
(Website: http: agricoop.nic.in/fert1.htm)

मार्च, 1983 में यह परियोजना विभिन्न उद्देश्यों के साथ प्रारम्भ की गयी इसमें (1) जैव उर्वरकों का उत्पादन और उनका वितरण (2) विभिन्न जैव उर्वरकों के मानक विकसित करना और गुणवत्ता नियंत्रण और (3) खेतों पर प्रदर्शन और प्रशिक्षण शामिल है। सरकार ने 150 टन क्षमता की जैव-उर्वरक उत्पादन इकाईयों को स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपए तक का, अनावर्ती अनुदान देने का प्रावधान किया है। यह सहायता राज्यों के कृषि/सहकारिता विभागों/उर्वरकों व निजी क्षेत्र के उपक्रम/गैर-सरकारी संगठनों और निजी एजेंसियों को दी जाती है, बशर्ते कि उनके प्रस्ताव सम्बन्धित राज्य सरकारों से आये हों। विभिन्न राज्य एजेंसियों से प्राप्त नील-हरित शैवाल सम्बन्धी प्रस्तावों के लिये, एक समय में डेढ़ लाख रुपए तक की सहायता, 30-40 टन प्रति वर्ष नीम हरित शैवाल पैदा करने के लिये दी जाती है।

क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिये हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सुधार की अग्रगामी स्कीम और बिहार तथा उत्तर प्रदेश में क्षारीय मिट्टियों के विकास और सुधार के लिये ई ई सी से सहायता प्राप्त प्रायोजना

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें

सम्बन्धित राज्य के कृषि निदेशक/मिट्टी संरक्षण निदेशक या सम्बन्धित राज्य के भूमि सुधार और विकास के प्रबन्ध निदेशक

ये दोनों परियोजनायें क्रमश: 1975-76 और 1993-94 से लागू की जा रही हैं और इनका उद्देश्य क्षारीय मिट्टियों को उपजाऊ बनाने के लिये, उन्हें सुधार कर छोटे और सीमान्त किसानों की आय का स्तर बढ़ाना है। इसमें खेतों पर विकास के कामों, नलकूप लगाने, मिट्टी का सुधार करने, फसल में खाद व उर्वरक, बीज और पौध के लिये अनुदान दिया जाता है। इस समय जिप्सम/और पायराइट जैसे मिट्टी सुधारकों के इस्तेमाल पर और खेत सुधारने के लिए किराये पर सेवाएं लेने के लिए तथा जमीन को समतल करने और अन्य कार्यों के लिए 50-75% तक छूट दी जाती है।

झूम खेती वाले क्षेत्रों में जल-संभर विकास प्रायोजना

राज्यों की योजना को केन्द्रीय सहायता के एक भाग के रूप में यह परियोजना सन् 1994-95 से लागू की जा रही है, ताकि जल संभर आधार पर झूम खेती से प्रभावित जमीन को सुधारा जा सके और झूमिया परिवारों को एक जगह बस कर खेती करने के लिए प्रोत्साहित करके, उनका सामाजिक-आर्थिक उत्थान किया जा सके। यह स्कीम उत्तर-पूर्वी राज्यों में, वहां के सरकारी और गैर-सरकारी संगठन, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान शुरू कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में कम से कम 25% तक झूम खेती होती है और 50% या अधिक परिवार झूम खेती से ही आजीविका प्राप्त करते हैं तथा गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनके लिये ही यह परियोजना है। जल संभर प्रायोजना चुनने के लिए 100% विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त की जा सकती है और ग्राम पंचायत/ग्राम परिसभा/ग्राम प्रदाय/ग्राम विकास बोर्ड/गैर-सरकारी संगठन आवेदन कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें

राज्य के संबंधित जिले के जिला नोडल अधिकारी,
जल संभर विकास
अथवा
सम्बन्धित राज्य के कृषि निदेशक